

शासन में शुचिता

शासन में शुचिता

शासन में शुचिता लोक सेवा में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता जैसे सुदृढ़ नैतिक सिद्धांतों का गुण है।

उद्देश्य

- ⊕ शासन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
- ⊕ लोक सेवाओं में ईमानदारी बनाए रखना
- ⊕ शासकीय प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना
- ⊕ कदाचार और संभावित भ्रष्टाचार से बचना

शुचिता के सिद्धांत

- ⊕ **ईमानदारी:** विचारों, वाणी और कार्यों में सत्यनिष्ठ तथा ईमानदार होना।
- ⊕ **सत्यनिष्ठा:** नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, भ्रष्ट गुणों का स्वभाव, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्ठा
- ⊕ **निष्पक्षता:** निर्णय वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होने चाहिये, न कि पक्षपात या पूर्वाग्रह पर।
- ⊕ **पारदर्शिता:** आम जनता को सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थाओं के कामकाज के बारे में स्पष्टता
- ⊕ **उत्तरदायित्व:** सार्वजनिक अधिकारियों को उनके आचरण के लिये जवाबदेह ठहराना और प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- ⊕ **समावेशिता:** समाज के विभिन्न वर्गों के साथ निष्पक्ष और बिना भेदभाव के व्यवहार करना
- ⊕ **गोपनीयता:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

- ⊕ **आचार संहिता:** कर्मचारी की कार्यवाही और व्यवहार के लिये विशिष्ट नियमों को परिभाषित करने वाले सिद्धांत
- ⊕ **नीति संहिता:** ईमानदारी, काम के प्रति समर्पण और जनता के प्रति उत्तरदायित्व जैसे मूल्य

चुनौतियाँ

- ⊕ शासन में भ्रष्टाचार, सरकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम कर रहा है
- ⊕ गैर-पारदर्शिता जनता के बीच संदेह और निराशा को जन्म दे रही है
- ⊕ अस्पष्ट मूल्य प्रणाली सरकारी कार्यों की स्थिरता और पूर्वानुमान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है
- ⊕ उत्तरदायित्व की कमी जनता के विश्वास और भरोसे को कम करती है

उठाए गए कदम

- ⊕ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- ⊕ केंद्रीय सतर्कता आयोग
- ⊕ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- ⊕ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005